

**भारत सरकार**  
**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2071**  
**बुधवार, 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**लू से हुई मौतें**

**†2071. श्री सुदामा प्रसाद:**  
**श्री राजा राम सिंह:**

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास हाल ही में लू के कारण मरने वाले लोगों, विशेषकर अनौपचारिक और गिग श्रमिकों की संख्या से संबंधित कोई आँकड़े हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार की लू के दौरान मरने वाले लोगों को मुआवजा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क)-(ख) वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) / राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएं नामतः चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग लगना, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला तथा तुषार एवं शीत लहर शामिल हैं। आपदाओं की वर्तमान अधिसूचित सूची में और अधिक आपदाएं शामिल किये जाने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में कहा था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (SDRMF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (NDRMF) से वित्त पोषण हेतु पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को कवर करती है, और इस प्रकार इसके सीमा-क्षेत्र का विस्तार किये जाने के अनुरोध को योग्य नहीं माना गया।

तथापि, कोई भी राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं की केन्द्रीय अधिसूचित सूची में शामिल ना होने वाली घटनाओं, जो उनके विचार में राज्य के स्थानीय संदर्भ के अन्तर्गत 'आपदा' हों, के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हुए SDRF के वार्षिक निधि आवंटन के 10 प्रतिशत तक की राशि प्रयोग कर सकती है।

(ग)-(घ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार लू के कारण हुई मौतों की कुल संख्या का नवीनतम विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ङ) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास इसका समर्थन करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) और राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) के माध्यम से अपने संसाधन उपलब्ध हैं। यदि वित्तीय सहायता के लिए राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) के लिए प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुसार इस पर विचार करती है।

वर्ष 2022 में लू / सन स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022
1	आंध्र प्रदेश	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	1
4	बिहार	78
5	छत्तीसगढ़	11
6	गोवा	0
7	गुजरात	5
8	हरियाणा	27
9	हिमाचल प्रदेश	0
10	झारखंड	47
11	कर्नाटक	2
12	केरल	0
13	मध्य प्रदेश	27
14	महाराष्ट्र	90
15	मणिपुर	0
16	मेघालय	0
17	मिजोरम	0
18	नगालैंड	0
19	ओडिशा	38
20	पंजाब	130
21	राजस्थान	12
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	2
24	तेलंगाना	62
25	त्रिपुरा	2
26	उत्तर प्रदेश	130
27	उत्तराखंड	0
28	पश्चिम बंगाल	18
	<b>कुल राज्य</b>	<b>729</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव @ +	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1
33	जम्मू और कश्मीर @ *	0
34	लद्दाख@	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुच्चेरी	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>1</b>
	<b>कुल (संपूर्ण भारत)</b>	<b>730</b>

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' वर्ष 2018 और 2019 के दौरान तत्कालीन दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'\*' वर्ष 2018 एवं 2019 के दौरान लद्दाख समेत तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े

'@' नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र का आंकड़ा

स्रोत: भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतें एवं आत्महत्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA)